कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, रिज रोड, जबलपुर (म॰ प्र॰) - 482001
O/o The Controller of Defence Accounts, Ridge Road, Jabalpur (M.P.)-482001
फोन: 0761-2608012/13, **फ़ैक्स:** 0761-2605622, **ई-मेल:** cda-jbl@nic.in

<u>परिपत्र</u>

संख्या – हिं॰ क॰/4112/सं॰रा॰स॰/निरीक्षण   दिनांक 24/08/2020

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
समस्त अनुभाग
(स्थानीय)

विषय : संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बातें ।

\- - - - - -

सभी अनुभाग प्रभारी को निदेशित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निम्न बिंदुओं पर दिए गए सुझावों पर कार्रवाई कृपया सुनिश्चित करें ।

1. हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए तथा शतप्रतिशत हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ाई जाए ।
2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाते हैं । इस धारा का पूर्ण रूप से पालन किया जाए ।
3. "क" तथा "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर अधिकतर हिंदी में दिए जाएं।
4. "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा "क" क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों से साथ मूल पत्राचार 100% हिंदी में किया जाना अपेक्षित है तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए ।
5. शून्य रिपोर्ट, अग्रेषण पत्र, पावती, नियमित रूप से लिखे जाने वाले मसौदा, कार्यालय टिप्पणी इत्यादि अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं ।
6. कार्यालय में प्रयोग में आने वाले कंप्यूटरों पर हिंदी टंकण की सुविधा (यूनिकोड) सुनिश्चित की जाए एवं हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत बढ़ाया जाए ।
7. हिंदी पत्रों का आवक-जावक रजिस्टर अनिवार्य रूप से प्रत्येक अनुभाग में रखा जाए एवं पत्रों की एंट्री नियमित रूप से की जाए ।
8. प्रत्येक अनुभाग में रिपोर्ट-रिटर्न चार्ट द्विभाषी तैयार कर लिए जाएं ।

रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर ने देख लिया है ।

यशस्वी
(यशस्वी बंसल)
रक्षा लेखा उप नियंत्रक (हिंदी)